



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/पौष 6, 1938

No. 889]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 6, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1177(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "राजस्थान" शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"राजस्थान"

राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ज्यूटी पद	170
सरकार के मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व मंडल	1
अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय ट्रिब्यूनल	1

	अपर मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक जनरल, एचसीएम आरआईपीए	1
	अपर मुख्य सचिव	2
	कृषि उत्पादन आयुक्त	1
	सरकार के प्रधान सचिव	15
	अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड	1
	निदेशक, एचसीएम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान	1
	प्रधान आवासीय आयुक्त	1
	सरकार के सचिव	19
	संभागीय आयुक्त	7
	आयुक्त, विभागीय जांच	1
	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1
	सदस्य, राजस्व मंडल	7
	परिवहन आयुक्त	1
	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
	आयुक्त, श्रम	1
	आयुक्त, कृषि	1
	आयुक्त, आबकारी	1
	आयुक्त, उद्योग	1
	महानिरीक्षक, पंजीकरण एवं टिकट	1
	आयुक्त, पर्यटन	1
	सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड	1
	आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	1
	आयुक्त, कौशल, रोजगार और उद्यमिता	1
	आयुक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर	1
	सरकार के विशेष सचिव	5
	सरकार के संयुक्त सचिव	9

	निपटान आयुक्त एवं पदेन निदेशक, समेकन	1
	जिला कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	33
	निदेशक, वाटरशेड विकास और मिट्टी संरक्षण	1
	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1
	निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1
	निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि	1
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	25
	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	2
	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क	1
	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	1
	सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग	1
	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1
	निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग	1
	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1
	आयुक्त, मध्याह्न भोजन	1
	आयुक्त, रोजगार गारंटी स्कीम	1
	निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	1
	आयुक्त, उपनिवेशन	1
	अपर आयुक्त, (निवेश और अप्रवासी भारतीय)	1
	निदेशक, समेकित बाल विकास स्कीम	1
	निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग	1
	निदेशक, जनजातीय मामले	1
	अपर मुख्य चुनाव अधिकारी	1
	निदेशक, कॉलेज शिक्षा	1
	निदेशक, अशक्तता	1
	निदेशक, बागवानी विभाग	1
	आयुक्त, स्थानीय स्वयं सरकार विभाग	1
1	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	170

2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	68
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	42
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	05
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	28
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	95
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	218
	कुल प्राधिकृत संख्या	313"

[फ़ा. सं. 11031/02/2015-अ.भा.से.-II (क)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, राजस्थान संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 296 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की सा.का.नि. सं. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, इन्हें राजस्थान संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया :

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	890	24.8.1974	10.	768	17.10.1987
2.	978	14.09.1974	11.	493	7.09.1991
3.	1152	2.11.1974	12.	238	23.05.1992
4.	369	22.3.1975	13.	319 (अ)	31.03.1995
5.	72 (अ)	10.02.1976	14.	286	12.7.1997
6.	588 (अ)	23.8.1977	15.	739 (अ)	31.12.1997
7.	807	24.06.1978	16.	188 (अ)	24.03.2009
8.	628 (अ)	17.11.1979	17.	450 (अ)	26.05.2010
9.	763 (अ)	18.12.1982			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 27th December, 2016

G.S.R. 1177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Rajasthan**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**Rajasthan**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“Rajasthan

	Senior Duty Posts under the State Government	170
	Chief Secretary to Government	1
	Chairman, Board of Revenue	1
	Chairman, Rajasthan Civil Service Appellate Tribunal	1
	Additional Chief Secretary & Ex-officio Director General, HCM RIPA	1
	Additional Chief Secretary	2
	Agriculture Production Commissioner	1
	Principal Secretary to Government	15
	Chairman, Rajasthan Tax Board	1
	Director, HCM Rajasthan State Institute of Public Administration	1
	Principal Resident Commissioner	1
	Secretary to Government	19
	Divisional Commissioner	7
	Commissioner for Departmental Enquiries	1
	Commissioner, Commercial Taxes	1
	Member, Board of Revenue	7
	Transport Commissioner	1
	Registrar, Cooperative Societies	1
	Commissioner, Labour	1
	Commissioner, Agriculture	1
	Commissioner, Excise	1
	Commissioner, Industries	1
	Inspector General, Registrations & Stamps	1
	Commissioner, Tourism	1
	Member, Rajasthan Tax Board	1
	Commissioner, Rural Development & Panchayati Raj	1
	Commissioner, Skill, Employment and Entrepreneurship	1
	Commissioner, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Jaipur	1
	Special Secretary to Government	5
	Joint Secretary to Government	9
	Settlement Commissioner & ex-officio Director of Consolidation	1
	District Collector & District Magistrate	33
	Director, Watershed Development & Soil Conservation	1
	Director, Secondary Education	1
	Director, Women & Child Development	1
	Director, State Insurance & Provident Fund	1
	Chief Executive Officer, Zila Parishad	25
	Additional Commissioner, Commercial Taxes	2

	Director, Information & Public Relations	1
	Director, Department of Information Technology and Communication	1
	Secretary, Rajasthan Public Service Commission	1
	Director, Social Justice & Empowerment Department	1
	Director, Mines & Geology Department	1
	Mission Director, National Health Mission	1
	Commissioner, Mid-Day -Meal	1
	Commissioner, Employment Guarantee Scheme	1
	Director, Elementary Education	1
	Commissioner, Colonization	1
	Additional Commissioner (Investment and NRIs)	1
	Director, Integrated Child Development Scheme	1
	Director, Child Empowerment Department	1
	Director, Tribal Affairs	1
	Additional Chief Electoral Officer	1
	Director, College Education	1
	Director, Disabilities	1
	Director, Horticulture Department	1
	Commissioner, Local Self Government Department	1
1	Total Senior Duty Posts	170
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	68
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	42
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	05
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	28
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	95
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	218
	Total Authorised Strength	313"

[F. No. 11031/02/2015- AIS-II (A)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorised Strength of Rajasthan Cadre was 296.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide number SRO 3350 dated the 22nd October 1955 and subsequently amended in respect of the Rajasthan Cadre by the following GSR No. and date:—

Sl.No.	G.S.R. No.	Date	Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	890	24.8.1974	10.	768	17.10.1987
2.	978	14.09.1974	11.	493	7.09.1991
3.	1152	2.11.1974	12.	238	23.05.1992
4.	369	22.3.1975	13.	319 (E)	31.03.1995
5.	72 (E)	10.02.1976	14.	286	12.7.1997
6.	588 (E)	23.8.1977	15.	739 (E)	31.12.1997
7.	807	24.06.1978	16.	188 (E)	24.03.2009
8.	628 (E)	17.11.1979	17.	450 (E)	26.05.2010
9.	763 (E)	18.12.1982			